संख्या-229/2020/1304/पांच-6-2020-26(नि0)/18टी.सी.-ए

प्रेषक

प्राणेश चन्द्र शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2020

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महदोइया, जनपद लखनऊ के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13398/17फ/नि0नि0अ0/2020-21, दिनांक 13.03.2020 तथा शासनादेश संख्या-46/2019/3892/पॉच-6-2018-26(निर्माण)/18टी.सी., दिनांक 26.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 26.02.2019 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0-135.86 लाख की मूल प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू.50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्तावानुसार मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महदोइया, जनपद लखनऊ के भवन निर्माण हेतु रू. 192.89 लाख (एक करोड़ बानबे लाख नवासी हजार रूपये मात्र) की केवल पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/ 2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश संख्या-46/2019/3892/पॉच-6-2018-26(निर्माण)/ 18टी.सी., दिनांक 26.02.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 की होगी।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।
6. प्रायोजना के शर्त यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिये जायेगे।
7. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
8. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0 संख्या-वित्त ई0-3-885/दस-2020, दिनांक 06 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
प्राणेश चन्द्र शुक्ल
उप सचिव।

संख्या-229/2020/1304(1)/पांच-6-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय , उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. निदेशक (पी0एच0सी0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।
10. प्रबन्ध निदेशक/संबंधित परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्राणेश चन्द्र शुक्ल
उप सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।